न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 17 निग/छतरपुर/भू-रा/2017/1552

श्री राजेश्वर शर्मा आदि
द्वारा आज 30/5/17 को
प्रस्तुत
30/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजेश्वर कु. शर्मा अधिवक्ता
30-5-2016

श्रीमती श्यामलता पुत्री स्व. परमलाल बबेले पत्नी श्री जगदीश प्रसाद तिवारी, उम्र 48 धंधा गृहकार्य, निवासी ग्राम बम्हौरी (मिहका) राजस्व निरीक्षक मण्डल पठा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर म.प्र.

--- आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी रमेश चन्द बबेले
2. श्रीमती रामजानकी पत्नी पियूष बबेले
3. श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री अनिल कुमार बबेले
4. श्रीमती वंदना देवी पत्नी श्री विनीत बबेले
5. पियूष बबेले तनहा श्री रमेश चन्द बबेले
6. अनिल कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द बबेले
7. विनीत तनह श्री रमेश चन्द बबेले
   निवासी ग्राम पीरा तह. लवकुश नगर जिला छतरपुर म.प्र.
8. रमेश चन्द तनय श्री परमलाल बबेले
   निवासी ग्राम पीरा तह. लवकुश नगर जिला छतरपुर म.प्र.

---- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 क, म.प्र.भू.रा.स. 1959, विरूद्ध

अ/निग/छतरपुर/अ.अ./2017/1552

2..

आदेश दिनांक 15.5.17 द्वारा पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर प्र. क्र. 129/अपील/13-14 श्रीमती गीता देवी विरुद्ध रमेश चन्द बवेले के निर्णय से दुखी होकर

श्रीमान जी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 1552

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-6-2017	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-5-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेशिका से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका एवं अन्य के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहे जाने पर अन्तिम अवसर दिया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर आवेदिका को उपलब्ध है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	